

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

137-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 7, 2025 (SRAVANA 16, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 7th August, 2025

No. 19-HLA of 2025/52/14237.— The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 19-HLA of 2025

THE HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members)

Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

- **1.** This Act may be called the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2025.
- **2.** For clause (c) of section 7C of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975, the following clause shall be substituted, namely:-
- "(c) special travelling allowance of such an amount not exceeding ten thousand rupees per month for journey by himself or his family members anywhere in India.".

Short title.

Amendment of section 7C of Haryana Act 2 of 1975

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under clause (c) of section 7C of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975, every member of the Haryana Legislative Assembly is entitled to a Special Travelling Allowances of such an amount not exceeding ten thousand rupees per month that would make the sum of monthly pension, dearness relief and the said amount equal to one lakh rupees for journey by himself or his family members anywhere in India.

During the recent past, various members have individually and collectively approached the Hon'ble Speaker and stated that:

- (i) the existing provision, capping the total a sum of Rs. 1,00,000/- of monthly pension & dearness relief, on account of Special Travelling Allowances, of such an amount not exceeding ten thousand rupees per month for journey by himself or his family members anywhere in India, does not adequately reflect the current inflationary trends and suggested that:
 - (a) the cap of Rs. 1,00,000/- be removed and to continue to provide a Special Travelling Allowances of such an amount not exceeding ten thousand rupees per month for journey by himself or his/her family members anywhere in India;

Considering the above suggestion, the Bill seeks to substitute clause (c) of section 7C of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

MAHIPAL DHANDA, Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: The 7th August, 2025. RAJIV PRASHAD, Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause (c) of Section 7C of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975, provides for a Special Travelling Allowance, not exceeding ten thousand rupees, to ensure that the total sum of monthly pension, dearness relief and the said amount equal to one lakh rupees for journey by himself or his family members.

It is estimated that an additional expenditure of Rs. 55,00,000/- approximately would be incurred, if an amendment to remove the cap of Rs. 1,00,000/-, in clause (c) of section 7C of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975, is carried out.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 19-एच०एल०ए०

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम।

- 1. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।
- 2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7ग के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
 - "(ग) भारत में कहीं भी स्वयं या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई यात्रा के लिए विशेष यात्रा भत्ता की ऐसी राशि, जो प्रति मास दस हजार रुपए से अधिक न हो।"।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 7ग का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7ग के खंड (ग) के अधीन, हरियाणा विधान सभा का प्रत्येक सदस्य प्रति माह अधिकतम दस हज़ार रुपये का विशेष यात्रा भत्ता का हकदार है, जिसमे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक पेंशन, महंगाई राहत और उक्त राशि की कुल राशि स्वयं या उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा यात्रा के लिए एक लाख रुपए के बराबर हो।

हाल के दिनों में, विभिन्न सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से माननीय अध्यक्ष से संपर्क किया और कहा है कि:-

- (i) मौजूदा प्रावधान, जिसमे विशेष यात्रा भत्ता के तहत मासिक पेंशन और महंगाई राहत की कुल राशि एक लाख रुपए के बराबर की सीमा रखी गई है, स्वयं या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा भारत में कहीं भी यात्रा के लिए प्रति माह अधिकतम दस हजार रुपये, वर्तमान मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है और सुझाव दिया है कि:
 - (क) विशेष यात्रा भत्ता में मासिक पेंशन और महंगाई राहत की कुल राशि एक लाख रुपये के बराबर की सीमा समाप्त की जाए व स्वयं या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा भारत में कहीं भी यात्रा के लिए प्रति माह अधिकतम दस हजार रुपये का विशेष यात्रा भत्ता प्रदान करना जारी रखा जाए।

उपरोक्त सुझाव पर विचार करते हुए, विधेयक का उद्देश्य हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा ७७ के खंड (ग) को प्रतिस्थापित करना है।

> महीपाल ढांडा, संसदीय कार्य मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : दिनांक ७ अगस्त, 2025. राजीव प्रसाद, सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा ७७ के खंड (ग) में दस हज़ार रुपए से अधिक नहीं के विशेष यात्रा भत्ते का प्रावधान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक पेंशन, महंगाई राहत और उक्त राशि की कुल राशि स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा यात्रा के लिए एक लाख रुपए के बराबर हो।

यह अनुमान लगाया गया है कि यदि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7ग के खंड (ग) में 1,00,000 रुपये की सीमा को हटाने के लिए संशोधन किया जाता है, तो लगभग 55,00,000 रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा ।

12024—H.V.S.—H.G.P., Pkl.